

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

पत्रांक-1126/अधि0/दो-29/2023

दिनांक 15 अप्रैल, 2023

कार्यालयादेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23(3) में विहित व्यवस्थानुसार पूर्व में प्रदेश के समस्त संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं एवं इस कार्यालय स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर परिवहन विभाग के प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्य स्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची संलग्न कर एतद्वारा प्रकाशित तथा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या:- (1)/सम्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, शासन।
2. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. अधिष्ठान पत्रावली।
5. गार्ड फाईल।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।